

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 19 / 2020 जी.सी.एम.एस. 2020 / 00025

1. महावीर प्रसाद उर्फ कालूराम पुत्र मोडूलाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास हाल निवास गौत्तम कोलोनी बोरखेडा कोटा।
2. जितेन्द्र उर्फ बाबूलाल पुत्र मोडूलाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास।

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

— प्रतिवादी—

वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरुस्त किये जाने नाम बाबत
उपस्थित —

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से— तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वादी द्वारा जयें एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व अन्य खातेदारी के सम्भालाती खाते की आराजी ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी में जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 38 के खसरा नंबर 60 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 61 की 1.98 है0, खसरा नंबर 181 की 0.12 है0, खसरा नंबर 182 की 1.14 है0, खसरा नंबर 382 की 0.56 है0, खसरा नंबर 398 की 0.10 है0, खसरा नंबर 421 की रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 422 की खसरा नंबर 0.09 है0, कुल खसरा तिता 08 की रकबा 4.35 है0, एवं खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 1424 की रकबा 2.34 है0, भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण के पिता के फोट होने पर वादीगण का नाम गलत अंकित किया गया है। वादी नंबर 01 का नाम महावीर प्रसाद है, जबकि जमाबंदी में कालूराम दर्ज कर दिया गया है, इसी प्रकार वादी नंबर 02 का नाम जितेन्द्र है, जिसका जमाबंदी में नाम बाबूलाल दर्ज कर दिया गया है। वादीगण नाम दुरुस्त हेतु प्रार्थना की, वादीगण ने अपने दावे के साथ जमाबंदी ग्राम खजूरी सम्वत 2070-73 की खाता संख्या 38 एवं खाता संख्या 39 की जमाबंदी नकल पेश की है, जिसमें वादी महावीर प्रसाद का नाम कालूराम व वादी नंबर 02 जितेन्द्र का नाम बाबूलाल दर्ज है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत खजूरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिकायें, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन-कार्ड इत्यादि में महावीर प्रसाद सुमन पुत्र मोडूलाल व जितेन्द्र पुत्र मोडूलाल दर्ज है। नकल जमाबंदी व अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम की विभिन्नता होने के कारण वादीगण को कृषि विकास व अन्य

Page no 1


उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जवाब हेतु सरकार की ओर से प्रतिवादी तहसीलदार कनवास की तलवी जारी की गई, तहसीलदार कनवास द्वारा 01.12.2020 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी महावीर प्रसाद व जितेन्द्र के द्वारा प्रस्तुत वाद पात्र के मद नंबर 01 में वादी का नाम कालूराम के स्थान पर महावीर प्रसाद सुमन व वादी नंबर 02 का नाम बाबूलाल के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है एवं इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं है। वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं महावीर प्रसाद व जितेन्द्र व सहखातेदार कन्हैयालाल का शपथ-पत्र पेश किया गया, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्तागण वादी सुनी गई। वादीगण के वाद पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों व जवाब सरकार का अवलोकन किया गया जिससे हम वादीगण व अन्य खातेदारी के सम्भालाती खाते की आराजी ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी में जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 38 के खसरा नंबर 60 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 61 की 1.98 है0, खसरा नंबर 181 की 0.12 है0, खसरा नंबर 182 की 1.14 है0, खसरा नंबर 382 की 0.56 है0, खसरा नंबर 398 की 0.10 है0, खसरा नंबर 421 की रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 422 की खसरा नंबर 0.09 है0, कुल खसरा ति 08 की रकबा 4.35 है0, एवं खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 1424 की रकबा 2.34 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम कालूराम के स्थान पर महावीर प्रसाद सुमन व वादी नंबर 02 का नाम बाबूलाल के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीगण व अन्य सहखातेदारी के सम्भालाती खाते की आराजी ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी में जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 38 के खसरा नंबर 60 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 61 की 1.98 है0, खसरा नंबर 181 की 0.12 है0, खसरा नंबर 182 की 1.14 है0, खसरा नंबर 382 की 0.56 है0, खसरा नंबर 398 की 0.10 है0, खसरा नंबर 421 की रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 422 की खसरा नंबर 0.09 है0, कुल खसरा ति 08 की रकबा 4.35 है0, एवं खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 1424 की रकबा 2.34 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम कालूराम के स्थान पर महावीर प्रसाद सुमन व वादी नंबर 02 का नाम बाबूलाल के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला (आर.ए.एस.)
कनवास जिला (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्दादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

मु.नं. 19/2020

जी.सी.एम.एस. 2020/00025

1. महावीर प्रसाद उर्फ कालूराम पुत्र मोडूलाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास हाल निवास गौत्तम कोलोनी बोरखेडा कोटा।
2. जितेन्द्र उर्फ बाबूलाल पुत्र मोडूलाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास।

-वादी-

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

- प्रतिवादी-

वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरुस्त किये जाने नाम बाबत

उपस्थित -

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से- तहसीलदार कनवास।


मुकदमा नं. 19/20 सन् 2020 तारीख फैसला 23.03.2021 न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण व अन्य संहखातेदारी के सम्भालाती खाते की आराजी ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी में जमाबंदी सम्वत 2070-73 के खाता संख्या 38 के खसरा नंबर 60 की रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 61 की 1.98 है0, खसरा नंबर 181 की 0.12 है0, खसरा नंबर 182 की 1.14 है0, खसरा नंबर 382 की 0.56 है0, खसरा नंबर 398 की 0.10 है0, खसरा नंबर 421 की रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 422 की खसरा नंबर 0.09 है0, कुल खसरा तिा 08 की रकबा 4.35 है0, एवं खाता संख्या 39 के खसरा नंबर 1424 की रकबा 2.34 है0, भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी नंबर 01 का नाम कालूराम के स्थान पर महावीर प्रसाद सुमन व वादी नंबर 02 का नाम बाबूलाल के स्थान पर जितेन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीजं ... X ...मुबलिग

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।


बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2021 माह मार्च 2021 को जारी की गई।
मोहर




जयप्रकाश खण्ड अदालत
कनवास जिला कोर्ट (राज०)

मुदयलाह	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक			मीजान		
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।


जयप्रकाश खण्ड अदालत
कनवास जिला कोर्ट (राज०)